

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्र. डी-15-14-10-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्षक निम्नलिखित संशोधन करती है जो, उक्त धारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्ष “छ” में गन्ना के बाद “गुड़” को अंतःस्थापित करते हुए शामिल किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2011

पू. क्र. डी-15-14-10-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक डी-15-14-10-चौदह-3, दिनांक 3 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd February 2011

No. D-15-14-10-XIV-3.—In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby make the following amendment in the Schedule of the said Act, the same having been previously published as required in proviso of the said Section:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act, after sugarcane in the heading VI, namely “Gur” shall be here by included.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.